

# कार्यालय-प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय बरही, जिला-कटनी (म.प्र.)

दूरभाष कार्यालय 07626-274202, फ़ैक्स 07626-274202, ई-मेल hegcbarkat@mp.gov.in

क्र./क्यू.01/स्था./प्रा./22-23

बरही, दिनांक : 05.09.2022

## जनभागीदारी समिति के अंतर्गत अतिथि विद्वान हेतु विज्ञप्ति


शासकीय महाविद्यालय बरही की जनभागीदारी समिति द्वारा सत्र 2022-23 के लिये जनभागीदारी योजना के अंतर्गत संचालित निम्न पाठ्यक्रम में अध्यापन कार्य हेतु जनभागीदारी अतिथि विद्वान हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्रमांक	विषय	पद	मानदेय	योग्यता
1	अर्थशास्त्र	02	8500/-	यूजीसी मापदण्डानुसार
2	अंग्रेजी साहित्य	02	8500/-	-----"-----

नोट :- आवेदन पत्र सादे कागज पर आवेदित विषय, नवीनतम फोटो, नाम, पता व मोबाईल नं./ई-मेल आईडी एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ **अंतिम तिथि दिनांक 13.09.2022 सायं 05 बजे तक** प्राचार्य/सचिव जनभागीदारी समिति, शासकीय महाविद्यालय बरही जिला कटनी के नाम पर कार्यालय में पहुँच जाना चाहिये। नियत तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

शर्त :-

1. M0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा पद स्वीकृत होने की दशा में अतिथि विद्वान/सहा0प्राध्या0 की नियुक्ति या स्थानांतरण के कारण आपकी सेवाएं तत्काल बिना किसी सूचना के समाप्त मानी जावेगी।
2. चयनित उम्मीदवार द्वारा प्रदत्त दायित्वों का असंतोषजनक निर्वहन होने पर अनुशासन संबंधी विवाद की स्थिति में पद से हटाने का अधिकार महाविद्यालय के प्राचार्य का रहेगा, उनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।
3. जनभागीदारी अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालय के स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और लोक सेवा की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माना जावेगा। इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देश मान्य होंगे तथा ये सेवाएं पूर्णतः अस्थायी हैं।
4. आवेदक लिफाफे के ऊपर पाठ्यक्रम का विषय ..... के जनभागीदारी अतिथि विद्वान हेतु आवेदन पत्र पर आवश्यक रूप से अंकित करे। आवेदन डाक द्वारा प्रेषित या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय में जमा करें।
5. एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर गुणानुक्रम अनुसार आवेदकों का चयन किया जावेगा।
6. अनुपस्थिति की दशा में 300/-रु. प्रति कार्यदिवस की कटौती की जावेगी।
7. सेवा संबंधी अन्य सभी दशाओं में प्राचार्य/सचिव, जनभागीदारी समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।

  
प्राचार्य/सचिव  
जनभागीदारी समिति  
Distt. Katan (M.P.)  
जिला-कटनी (म.प्र.)